न्यायालय कलेक्टर सीहोर जिला सीहोर(म0प्र0)

प्रकरण कमांक :- 04/अ-20(3)/2021-22

म.प्र.शासन,

वन विभाग --आवेदक

विरूद्ध

सर्वसाधारण,--अनावेदक

//आदेश//

(पारित दिनांक / /)

(अंतर्गत म0प्र0 नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश-2020)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है, कि म0प्र0 सम्भागीय प्रबंधक म0प्र0 सडक विकास निगम 45-ए अरेरा हिल्स भोपाल के पत्र क्रमांक 23954/एमपीआरडीसी/डी.एम./भोपाल/2021 भोपाल दिनांक 22/01/2021 के माध्यम से मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश-2020 अन्तर्गत सिद्धीकगंज हाट पिपलिया सडक चौडीकरण कार्य में वन विभाग की प्रभावित रकबा 3.720 हे के बदले ग्राम घुराड़ा कला स्थित शासकीय भूमि सर्वे कमांक 1/1/क रकबा 9.247 हे0 में से 7.44 हे0 वन विभाग को हस्तांतरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रकरण विधिवत पंजीबद्ध किया जाकर अनुविभागीय अधिकारी आष्टा से अध्याय-2 निर्देश-13 अंतर्गत मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश-2020 में विहित प्रकिया अनुसार जॉच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया।

3. तहसीलदार जावर/अनुविभागीय अधिकारी, आष्टा द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि प्रकरण न्यायालय में दर्ज किया जाकर सर्व साधारण को सूचनार्थ, आपत्ति आमंत्रण हेतु इश्तहार प्रकाशन कराया गया। प्रकाशन उपरांत नियत समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई। प्रकरण में स्थानीय निकाय तथा संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश से अभिमत चाहा गया। नियत समयावधि में नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा कोई आपत्ति नही होना प्रतिवेदित किया गया।

तहसीलदार जावर के आदेश पत्रिका दिनांक 18/10/2021 में उल्लेखित वन संरक्षण नियम 2003 की निर्देशिका के कण्डिका -2 उप कण्डिका 2.4 (i) के पालन में

सडक चौडीकरण में उपयोग की गई 3.72 हे0 वन भूमि के समतुल्य ग्राम घुराडा कला स्थित राजस्व भूमि सर्वे कमांक 1/1/क रकबा 9.247 हे0 नोईयत शासकीय में से 3.720 हे0 भूमि वन विभाग को हस्तांतरण किये जाने की अनुशंसा सहित प्रकरण प्रेषित किया गया है।

क	खसरा कमांक	नोईयत	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	हस्तान्तरित रकबा (हेक्टेयर में)
1	1/1/क	शासकीय	9.247	3.72
	कुल किता–1		9.247	3.72

कलेक्टर, सीहोर

4. अनुविभागीय अधिकारी आष्टा से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन सहित प्रकरण मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश–2020 अध्याय–2 नियम–14 अंतर्गत जिला नजूल निर्वर्तन समिति के समक्ष भूमि हस्तांतरण की स्वीकृति हेतु रखा गया। उक्त प्रस्ताव पर विचारोपरांत समिति द्वारा सर्वे कमांक 1/1/क रकबा 9.247 हे0 नोईयत शासकीय में से 3.720 हे0कुल किता–1 रकवा 3.72 हे0 शासकीय भूमि हस्तांतरण हेतु सर्व सहमति से स्वीकृति प्रदान की गई।

5. प्रकरण मे संलग्न अभिलेखो, अनुविभागीय अधिकारी, आष्टा के प्रतिवेदन से सहमत होकर, विचारोपरांत मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश 2020 की कंडिका–14 अन्तर्गत ग्राम घुराडा कला तहसील जावर जिला सीहोर की निम्न सारणी अनुसार शासकीय भूमि वन विभाग कोवृक्षारोपण हेतुहस्तांतरित की जाती है।

क	खसरा कमांक	नोईयत	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	हस्तान्तरित रकबा (हेक्टेयर में)
1	1/1/क	शासकीय	9.247	3.72
	कुल किता–1		9.247	3.72

शर्ते :–

1. आवंटित भूमि का उपयोग वन विभाग के वृक्षारोपण हेतु ही किया जावेगा।
2. आवंटित भूमि का स्वीकृत उपयोग परिवर्तन की स्थिति में पुनः सक्षम प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(चन्द्र मोहन ठाकुर)
कलेक्टर
जिला सीहोर
कलेक्टर सीहोर

Scanned with

पृ0कमांक/ 95 / नजूल /22 सीहोर,दिनांक 03/02/2022

प्रतिलिपिः–

1. सम्भागीय प्रबंधक एम0पी0आर0डी0सी0 भोपाल मध्य प्रदेश की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. वनमंडलाधिकारी, सीहोर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।।

अनुविभागीय अधिकारी(रा)आष्टा/तहसीलदार, जावर जिला सीहोर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। हस्तांतरण आदेश का राजस्व अभिलेखो में अमल कराना सुनिश्चित करें। पालन उपरांत अपडेटेड खसरा नकल इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।

(चन्द्र मोहन ठाकुर)
कलेक्टर
जिला सीहोर

कलेक्टर, सीहोर

Scanned with